भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर ,तहसील मालपुरा जिला टोंक

क्रमांक खान पान अल्पाहार समिति /2016 दिनांक 18.02.2016

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान परिसर में दिनांक 26.02.2016 से 28.02.2016 तक उन्नत भारत अभियान के तहत प्रशिक्षण / वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है । अतः उक्त आयोजन के लिये लगभग 300 आदमीयों के लिय नाशता, –हाई टी, दोपहर व शाम का खाना तथा चाय (दिनांक 25.02.2016 शाम से 28.02.2016 दोपहर) की दर मय केटरींग आमत्रित की जाती हे।

इच्छुक फर्म / दर दाता दिनांक 22.02.2016 को दोपहर 12 बजे तक अपनी दरे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये खान पान एवं अल्पाहार समिति के अध्यक्ष डां एफ.ए.खान से सम्पर्क किया जा सकता है। मीनू संबंधित अधिक जानकारी एवं नियम व शर्ते आदि संस्थान वेबसाइट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है

(डॉ. एफ. ए. खान)
अध्यक्ष, खान पान अल्पाहार समिति
मोबाइल नं. 9414452931

वितरणः–

1. सभी नोटिस बोर्ड
2. प्रभारी, ए.के.एम.यू. को संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत है।
3. श्री .....

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर ,तहसील मालपुरा जिला टोंक

क्रमांक खान पान अल्पाहार समिति /2016 दिनांक 18.02.2016

अल्पाहार व भोजन का मिन्यू निम्नानुसार होगा–

क्र.सं.	विवरण		दर प्रति इकाई
1.	नास्ता	पूड़ी–सब्जी,	
		चाय	
		कचोरी/समोसा, जलेबी	
		पोहे	
2.	भोजन (लंच/डीनर)	पूड़ी/चपाती, दाल फ्राई, दो सब्जी, चावल, सलाद, मिर्च टपोरे, मिठाई, रायता/छाछ चूरमा–बाटी	
3.	अल्पाहार (हाई–टी)	कचोरी, मिठाई, वेपर्स, मठरी, फल, चाय इत्यादि	
4.	चाय (ट्रेनिंग के दौरान)		

नियम व शर्ते –

1. उपरोक्त दरें मय केटरिंग व मय पानी (आर.ओ. फिल्टर) के प्रस्तुत करें। दरों में किसी प्रकार की कटिंग व ओवर राईटिंग नहीं करें। कटिंग व ओवर राईटिंग होने पर इसे सत्यापित करें।
2. भोजन बनाने हेतु काम में आने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। साथ ही सामान की गुणवत्ता की जांच सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा की जावेगी।
3. भोजन बनाते समय शुद्धता व साफ–सफाई रखना अति आवश्यक होगा।
4. भोजन/नास्ते का मिन्यू प्रतिदिन चेयरमेन, फूड कमेठी से लेना होगा या उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
5. भुगतान, कार्य संतोषजनक व समय पर पूर्ण होने पर निर्धारित समयावधि में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने के उपरान्त ई–पेमेन्ट द्वारा किया जावेगा।
6. बिल में से नियमानुसार आयकर/सेवाकर जो भी लागू हो नियमानुसार काटा जावेगा।
7. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को किसी भी समय एक अथवा सभी कोटेशनों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

मैं/हम यह घोषणा करते है कि मैनें/हमनें उपरोक्त कार्य की सभी नियम व शर्ते पढ़ली है तथा मुझे/हमें स्वीकार है। मैं/हम उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई दरों पर कार्य करने में सक्षम हूँ।

हस्ताक्षर कोटेशनदाता

पता

पेनकार्ड की प्रतिलिपि

बैंक खाता संख्या मय आई.एफ.एस. कोड नं.